

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from अजित सोहन सिंह (FCA-1980) of 9.75 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use construction of खेती. The site inspection of the land involved in been done by me on dated 8-11-2018.

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF forests measuring 2.705 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the NO.

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any nonument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if

- a) ☒ The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 has been started without proper sanction.
- b) ☒ It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति / टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय) सिंह सोहन को जारी है

Place:- अजित

Date:- 8-11-2018

(Signature)

Name:- अजित सोहन सिंह
Designation:- प्रभागीय वनाधिकारी
Office Seal:- हिमाचल प्रदेश वन विभाग, चम्पाड़ा.

B. ☒ State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the is not applicable.

per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, G for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DC for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the c sts is required.

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड

(ii) जिला अरुणचल

(iii) जिला वन प्रभाग सिविल सिपाक वन प्रभाग, अरुणचल

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र सीमा में की वन भूमि - 1.355

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति: आगत 1.355 सि.मी. - 1.355 = 2.0

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: कोई

(i) वन का प्रकार डेड फोरिस्ट

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.4

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना सफरसि

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा कोई नहीं

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण भूक्षरण की हद

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: 1.0 Km.

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता: कोई नहीं

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा: भारतीय वन्यजीव

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अन्तर्वास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं) नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं) कोई नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरों में अलग किस्म के खतरों की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे कोई नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए संक्षेप प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें:

(i) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्य अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। अपरिहार्य है परियोजना के लिए अति न्यूनतम है

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। हाँ